रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1991/श्रावण 23, 1913
No. 302] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1991/SRAVANA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1991

विदेश यात्रा कर

सा.का.नि. 534 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, 17 अगस्त से 19 अगस्त, 1991 तक भारत की यात्रा पर आने वाले सोवियत समाजवादी गणराज्य उजबेक के राष्ट्रपति महामहिम श्री इस्लाम ए करीमोव और श्रीमती टतियाना करीमोव के चौतीस सदस्यों को

उनके उक्त दौरे की समाप्ति पर भारत के बाहर किसी स्थान को उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1991 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 25/एफ.टी.टी./91-फा.सं. 306/32/91-एफटी.टी]

एल. जयशेखर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1991

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempt H. E. Mr. Islam A. Karimov, President of the Uzbek Soviet Socialist Republic and Mrs. Tatyana Karimov and Thirty Four members of the delegation on their visit to India from 17th to 19th August, 1991 from payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act, in respect of their international journey to any place outside India at the end of the said visit.

2. The notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st August, 1991.

[No. 25/FTT/91-F. No. 306/32/91-FTT.]

L. JAYASEKAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991